न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विशेष एन0आई0एक्ट), हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

उपस्थित –श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।

CRIMINAL CASE NO.-5133/2023
CNR NO.-UKNA06-007323-2018

परिवाद अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम।

परिवादी	चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री देवकी नन्दन शर्मा निवासी–वार्ड नंबर 20, अब्दुल्ला बिल्डिंग के सामने, बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री विकास कुमार शर्मा।
अभियुक्ता	श्रीमती सोनम कश्यप उर्फ नेहा पत्नी मनोज कश्यप पुत्री मुकेश कुमार निवासी–शर्मा निवास, गोल्डन, फर्नीचर के सामने, चौधरी कालोनी, बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। पिता के घर का पता–वार्ड नंबर 20, अब्दुल्ला बिल्डिंग के सामने बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री मनीष जोशी, श्री अतुल पंत, सुश्री बबीता शर्मा

वाद का विवरण–

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि	13.12.2023
अभियुक्ता के बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये जाने की तिथि	18.12.2024

साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	27.01.2025
पत्रावली निर्णय हेतु नियत किये जाने की तिथि	29.07.2026
निर्णय की तिथि	12.08.2026
दण्डादेश पारित किये जाने की तिथि, (यदि कोई हो।)	———

<u>अभियुक्ता का विवरण</u>

क्र0सं0	अभियुक्ता का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	न्यायालय द्वारा अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोपित अपराध की धारा	दोषमुक्ति / दोषसिद्धि	अधिरोपित कारावास	अभियुक्ता द्वारा कारावास में बितायी गयी अवधि
1.	सोनम कश्यप उर्फ नेहा	अभियुक्ता द्वारा न्यायालय में आत्मसर्पण की तिथि 21.08. 2024	21.08. 2024	138 N.I. Act	दोषमुक्त	——	——

:: निर्णय ::

प्रस्तुत परिवाद, परिवादी की ओर से अभियुक्ता के विरूद्ध मुव0—3,50,000/—रूपए का एक चैक संख्या 011483 दिनांकित 07.10. 2023 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गौजाजाली बिछली *(उक्त चैक का इस निर्णय में आगामी स्तर पर सुविधा की दृष्टि से ''प्रश्नगत चैक से सम्बोधित किया जायेगा।)* के बाउन्स होने के सम्बन्ध में धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2 संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि परिवादी तथा विपक्षी के मध्य अच्छी मित्रता है। इन्हीं संबंधों के चलते विपक्षी द्वारा वर्ष 2018 में अपनी निजी आवश्यकता हेतु मु. 3,50,000/—रूपये उधार लिये गये। उक्त देनदारी के भुगतान के एवज में विपक्षी ने परिवादी को अपने खाते वाले बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गौजाजाली बिछली, जिला नैनीताल का एक चैक, चैक संख्या 011483 मुबलिग 3,50,000/—रूपये दिनांकित 07.10.2023 का हस्ताक्षर कर इस आश्वासन के साथ दिया था कि उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर परिवादी को वर्णित धनराशि का भुगतान प्राप्त हो जायेगा। परिवादी द्वारा उक्त चैक को भुगतान हेतु अपने खातें वाले बैंक, अल्मोड़ा अर्बन कोआपरेटव बैंक शाखा हल्द्वानी, जिला नैनीताल में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक बैंक द्वारा दिनांक 24.10.2023 को **"Funds Insufficient"** की टिप्पणी के साथ अनादरित कर दिया गया। चैक अनादरण के पश्चात परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनॉक 30.10. 2023 को एक कानूनी नोटिस प्रेषित कराया जो अभियुक्ता के एक पते पर तामिल हुआ तथा दूसरे पते पर प्रेषित नोटिस ''अपूर्ण पता'' की टिप्पणी के साथ परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को वापस प्राप्त हुआ। परन्तु आज दिन तक अभियुक्ता ने उक्त धनराशि वापस नहीं की है।

3. परिवाद दर्ज होने के उपरान्त परिवादी द्वारा धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत अपना बयान शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये।

4. पत्रावली पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य—सामग्री के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अभियोग धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम बनता पाते हुए उसे परीक्षण हेतु न्यायालय आदेश दिनांकित 14.12.2023 द्वारा तलब किया गया। वर्तमान में अभियुक्ता प्रस्तुत मामले में जमानत पर है।

5. अभियुक्ता को न्यायालय में आहूत कर उसके बयान अन्तर्गत धारा—251 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 दर्ज किये गये, जिसमें अभियुक्ता को,

अभियोजन / अभियोग का सारांश पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसमें उसके द्वारा कथन किया है कि–" **मैने परिवादी से दिसम्बर 2022 में पचास हजार रूपये ब्याज पर लिये थे जिसके एवज मै मैने प्रश्नगत चैक परिवादी को बतौर सिक्योरिटी दिया था। मैने परिवादी को कुल साठ हजार रूपये जुलाई 2023 तक लौटा दिये थे। परिवादी के प्रति मेरी कोई विधिक देनदारी नही है। प्रश्नगत चैक पर केवल मेरे हस्ताक्षर है अन्य इबारते मेरे द्वारा या मेरी सहमति से नहीं भरी गयी है। परिवादी ने प्रश्नगत चैक का दुरूपयोग किया है** " तथा विचारण चाहा गया है।

6. परिवादी की ओर से परिवाद को सिद्ध करने के लिए **मौखिक साक्ष्य** के रूप में **चन्द्र प्रकाश** को बतौर पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में तथा **सुरेन्द्र पुरी** को बतौर पी0डबल्यू 02 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया है तथा **दस्तावेजी साक्ष्य** के रूप में साक्ष्य में चैक सं0 011483 दिनांकित 07.10.2023, अनादृत बैंक मैमो दिनांकित 24.10.2023, नोटिस दिनांकित 30.10.2023, डाक रसीद, ऑनलाईन ट्रैकिंग रिपोर्ट, नोटिस वापसी मय लिफाफा की प्रति इत्यादि प्रस्तुत किये गये हैं।

7. परिवादी द्वारा अपनी ओर से साक्ष्य समाप्ति की घोषणा करने के उपरान्त अभियुक्ता के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसके अन्तर्गत अभियोग से इंकार कर कथन किया गया है कि **"मैनें पचास हजार रूप्ये दिसम्बर 2022 में लिये थे। जुलाई 2023 में दे दिये थे। चैक साईन करके ब्लैंक दिया था। पुराना मिला मिला था। ये वाला नहीं मिला। पैसें लेते समय दो चैक दिये थे। पहला चैक 2022 में तीन लाख का भरकर नोटिस दिया था। तब हमने थोड़े –थोड़े पैसे दे दिये थे। साठ हजार लौटाए थे। फिर अब इन्होनें दो बार साढ़े तीन लाख चैक भरकर दिया। कोई देनदारी नहीं है।"** एवं बचाव में साक्ष्य देने का कथन किया गया।

8. अभियुक्ता द्वारा अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में परिवादी द्वारा अभियुक्ता को प्रेषित नोटिस प्रस्तुत किया गया है।

9. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण पत्रावली एवं उस पर साक्ष्य–सामग्री के परिप्रेक्ष्य में परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा उपलब्ध साक्ष्य–सामग्री का परिशीलन किया गया एवं अभियुक्ता द्वारा धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में दो प्रतिभू प्रस्तुत किये गये।

10. अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का अभियोग है। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 को साबित करने के लिए परिवादी को निम्न बिन्दु साबित करने आवश्यक हैं :

1 **क्या अभियुक्ता के द्वारा किसी ऋण अथवा अन्य दायित्वों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए परिवादी को अपने खाते वाले बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गौजाजाली बिछली, जिला नैनीताल का एक चैक, चैक संख्या 011483 मुबलिग 3,50,000/–रूपये दिनांकित 07.10.2023का दिया गया?**

2 **क्या उक्त चैक को परिवादी के द्वारा अपने बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया?**

3 **क्या उक्त चैक को परिवादी के द्वारा अपने बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर उक्त चैक बैंक द्वारा बिना भुगतान के अनादरित कर दिया?**

4 **क्या परिवादी के द्वारा अभियुक्ता को उक्त चैक के अनादरित होने के कारण चैक में वर्णित राशि के भुगतान की मांग हेतु लिखित नोटिस दिया गया?**

5 **क्या अभियुक्ता के द्वारा नोटिस प्राप्त करने के उपरांत 15 दिनों के भीतर भुगतान की राशि अदा नहीं की गई?**

11. प्रथम बिन्दु को सिद्ध करने का भार परिवादी पर है। इस संबंध में परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्ता को वर्ष 2018 में 3,50,000/–रूपये का उधार दिया गया था। जिसके भुगतान के एवजे में अभियुक्ता द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक दिया गया था। परिवादी द्वारा मुख्य परीक्षा शपथपत्र में परिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया गया है। प्रतिपरीक्षा में परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि **"मैं लगभग छः–सात वर्षो से आयकर भरता हूॅ। मै आयकर कैंटीन के कार्य के संबंध में नहीं भरता हूॅ। मै वर्तमान में निल आयकर भरता हूॅ। मुझे याद नहीं है कि मैने वित्तीय वर्ष 2018–19 में कितना आईटीआर भरा था।"** आगे यह भी कथन किया गया है कि **"मेरे परिवार में चार लोग है। मेरा मासिक घरेलू खर्च लगभग पच्चीस से तीस हजार रूपये है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुझे कैटीन से कितनी आय अर्जित हो जाती है।"** यह भी कथन किया गया है कि **"जब मैने अभियुक्ता को कथित धनराशि उधार दी थी उस समय वहां पर मेरा दोस्त सुरेन्द्र पुरी भी उपस्थित था। मै अभियुक्ता को कथित धनराशि अपने घर में दी थी। जो कथित धनराशि ढेड लाख रूपये अपने मित्र से लेकर देना बताया है वह मैने अपने मित्र से लेकर दिये थे। सुरेन्द्र पुरी ट्रास्पोर्ट का कार्य करता है।"** आगे यह भी कथन किया गया है कि **"मेरी प्रश्नगत धनराशि देने के संबंध में अभियुक्ता से कोई लिखत पढत नही हुयी थी। अभियुक्ता को मैने एकमुश्त धनराशि उधार दी थी।"** अभियुक्ता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 251 व 313 द0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी से केवल 50,000/–रूपये दिसम्बर 2022 में लिये गये थे तथा जुलाई 2023 में वापस कर दिये गये थे। पैसा लेते समय अभियुक्ता द्वारा परिवादी को चैक दिया गया था। जिसमें से पहला चैक वर्ष 2022 में 3,00,000/–रूपये का भरकर नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके बाद 60,000/–रूपये अभियुक्ता द्वारा परिवादी को लौटाये गये थे। अब परिवादी द्वारा पुनः 3,50,000/–रूपये का चैक भरकर लगा दिया गया है। परिवादी की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्ता द्वारा प्रश्नगत चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 118क व 139 पराक्रम्य लिखत अधिनियम,

1881 के अंतर्गत उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक एक विधिसम्मत ऋण के निर्वहन हेतु दिया गया था।

12. धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 यह उपधारणा करती है कि जब तक प्रतिकूल साबित न हो, तो ऐसी उपधारणा की जायेगी की चैक के धारक ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में उल्लिखित किसी ऋण या अन्य दायित्वों का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया था। धारा 118(क) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 भी यह उपधारणा करता है कि जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता यह उपधारणा की जायेगी कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी। इस प्रकार धारा 118(क) एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 यह उपधारणा करती है कि जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाये, तब तक न्यायालय उपधारणा करेगा कि कोई भी चैक प्रतिफलार्थ रचित या लिखा गया था एवं चैक के धारक ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में उल्लिखित किसी ऋण या अन्य दायित्वों का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया था। धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की अवधारणा को प्रतिकूल साबित करने का मानक संभाव्यताओं की प्रबलता (preponderance of probabilities) होता है।

13. परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी से वर्ष 2018 में 3,50,000/—रूपये का ऋण लिया गया था। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि परिवादी द्वारा उक्त ऋ़ण लिये जाने की कोई तिथि स्पष्ट नहीं की गई है। जो पत्रावली के परिशीलन से सत्य प्रतीत होती है। परिवाद पत्र अथवा अपने बयान में परिवादी द्वारा ऋण लिये जाने की कोई तिथि स्पष्ट नहीं की गई है। बचाव पक्ष द्वारा परिवादी की वित्तीय क्षमता पर भी प्रश्न किया गया है जिसका परिवादी द्वारा उत्तर दिया गया है। परिवादी का तर्क है कि घरेलू खर्च 25—30 हजार रूपये का है तथा परिवादी निल आयकर भरता है। परिवादी द्वारा अपनी आय तथा व्यय के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किये गये है।

अभियुक्ता को कथित रूप से धनराशि दिये जाने के स्त्रोत के संबंध में परिवादी द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि उक्त धनराशि में से 1,50,000/—रूपये परिवादी द्वारा अपनी मित्र सुरेन्द्र पुरी से लेकर अभियुक्ता को दिये गये थे। उक्त सुरेन्द्र पुरी को परिवादी द्वारा पी0डब्ल्यू 02 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अपने बयान में भी अभियुक्ता को धनराशि दिये जाने की कोई तिथि स्पष्ट नहीं की गई है। परिवादी द्वारा अपनी वित्तीय क्षमता के संबंध में भी कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। जिससे परिवादी के कथनों पर संदेह उत्पन्न होता है। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि पूर्व में भी परिवादी द्वारा अभियुक्ता को चैक भरकर नोटिस प्रेषित किया गया था परंतु बातचीत होने के बाद उक्त नोटिस के अनुक्रम में वाद दायर नहीं हुआ था। उक्त नोटिस मूल रूप में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त नोटिस का कोई उल्लेख परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में नहीं किया गया है। उक्त नोटिस के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त नोटिस में भी परिवादी द्वारा अभियुक्ता को 3,00,000/—रूपये उधार दिये जाने का कथन किया गया है। परंतु उक्त नोटिस मे भी उधार दिये जाने की कोई तिथि आदि स्पष्ट नहीं की गई है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन में परिवादी द्वारा कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज को अभियुक्ता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में किये गये कथनों से संपुष्टि प्राप्त होना दर्शित होता है। परिवादी द्वारा अभियुक्ता को वर्ष 2018 में दिये गये ऋण के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण दिये जाने का कोई कथन नहीं किया गया है। यदि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया नोटिस उक्त ऋण के संबंध में ही प्रेषित किया गया था तो उक्त नोटिस में ऋण की धनराशि 3,00,000/—रूपये अंकित की गई है। जो पूर्ण रूप से परिवादी के ही कथनों पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। परिवादी द्वारा इस तथ्य के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। यह सिद्ध करने का भार अभियुक्ता पर है कि परिवादी द्वारा अभियुक्ता के चैक का दुरूप्रयोग कर वाद दायर किया गया है। अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटिस के आधार पर यह दर्शित होता है कि पूर्व में भी परिवादी द्वारा भिन्न धनराशि अंकित करते हुए अभियुक्ता को नोटिस प्रेषित किया गया है। जिससे बचाव पक्ष के तर्क में बल होना दर्शित होता है। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है

कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी से की गई प्रतिपरीक्षा व परिवादी द्वारा दिये गये विरोधाभासी बयान तथा अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उपरोक्त उपधारणा को खंडित करने हेतु पर्याप्त हैं।

14. इस संबंध में न्यायनिर्णय **M/S Kumar Exports vs M/S Sharma Carpets** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> **"To rebut the statutory presumption an accused is not expected to prove his defense beyond reasonable doubt as is expected of a complaint in a criminal trial. The accused may adduce direct evidence to prove that the note in question was not supported by consideration and that there was no debt and liability to be discharged by him. However, the court need not insist in every case that the accused should disprove the non existence of consideration and debt by leading direct evidence because the existence of negative evidence is neither possible nor contemplated. At the same time, it is clear that bare denial of the passing of consideration and existence of debt, apparently would not serve the purpose of the accused. Something which is probable has to be brought on record for getting the burden of proof shifted to the complainant."**

15. उपरोक्त न्यायनिर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा अपना बचाव संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक नही है। प्रस्तुत मामलें में परिवादी द्वारा अभियुक्ता के साथ हुये संव्यवहार की कोई तिथि अथवा अन्य विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा इस सबंध में कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा परिवादपत्र व अपने बयान में उक्त संव्यवहार के संबंध में अत्यंत अस्पष्ट कथन किये गये हैं। परिवादी द्वारा अभियुक्ता को ऋण दिये जाने तथा अभियुक्त से चैक लिये जाने की तिथि स्पष्ट नहीं की गई है। अभियुक्ता द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नोटिस के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त नोटिस में

परिवादी द्वारा तीन लाख रूपये ऋण हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था जबकि प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा 3,50,000/—रूपये भरकर वाद दायर किया गया है। इन दो भिन्नताओं के संबंध में परिवादी द्वारा कोई स्पष्ट कथन नही किया गया है। धारा 139 व 118(क) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत उपधारणा किये जाने के प्रावधान के बावजूद भी परिवादपत्र में किये गये कथनों को सिद्ध करने का भार प्रथमतः परिवादी पर है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Basalingappa Vs Mudibasappa (2019) CriLR383** में अवधारित किया गया है किः—

> **"There are certain cases in which statutory presumptions arise regarding the guilt of the accused, but the burden even in those cases is upon the prosecution to prove the existence of facts which have to be present before the raise the statutory presumption and it would, in such an event, be for the accused to rebut the presumption. The onus even in such cases upon the accused is not as heavy as is normally upon the prosecution to prove the guilt of the accused. If some material is brought on the record consistent with the innocence of the accuse which may reasonably be true, even thought it is not positively proved to be true, the accused would be entitled to acquittal."**

16. उपरोक्त न्यायनिर्णय के ससम्मान अवलोकन से विदित है कि उपधारणा के बावजूद परिवादपत्र के कथनों को सिद्ध करने का भार प्रथमतः परिवादी पर ही है। परिवादी द्वारा अभियुक्ता के साथ हुये संव्यवहार की कोई तिथि अथवा अन्य विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा इस सबंध में कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। पदिवादी द्वारा परिवादपत्र व अपने बयान में उक्त संव्यवहार के संबंध में अत्यंत अस्पष्ट कथन किये गये हैं। परिवादी द्वारा अभियुक्ता को ऋण दिये जाने तथा अभियुक्त से चैक लिये जाने की तिथि स्पष्ट नहीं की गई है। अभियुक्ता द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नोटिस के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त नोटिस में परिवादी द्वारा तीन लाख रूपये

ऋण हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था जबकि प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा 3,50,000/—रूपये भरकर वाद दायर किया गया है। इन दो भिन्नताओं के संबंध में परिवादी द्वारा कोई स्पष्ट कथन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 118(क) व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत की गई उपधारणा को खण्डित करने हेतु पर्याप्त होना पाया जाता है। प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य एवं उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में सम्भाव्यताओं की प्रबलता अभियुक्ता के पक्ष में है एवं अभियुक्ता सम्भाव्यताओं की प्रबलता को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है तथा इसके द्वारा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की उपधारणा को प्रतिकूल साबित किया गया है। अतः परिवादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि प्रश्नगत चैक अभियुक्ता द्वारा परिवादी को परिवादी से क्रय की गई भूमि के भुगतान के एवज में दिया गया था। अतः प्रथम बिंदु परिवादी के पक्ष में सिद्ध नहीं पाया जाता है।

17. बिंदु 2 व 3 के संबंध में परिवादी द्वारा मूल प्रश्नगत प्रश्नगत चैक संख्या—011483 मुबलिग 3,50,000/—रूपये यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गौजाजाली बिछली, जिला नैनीताल तथा मूल अनादरण मेमो दिनांक 24.10.2023 प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र में उक्त दस्तावेजों को सिद्ध भी किया गया है। अभियुक्ता द्वारा उक्त अनादरण के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इंकार किया गया है। परिवादी द्वारा चैक तथा अनादरण के संबंध में कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया गया हैं। अभियुक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्य के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत चैक का परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया जाना तथा बैंक द्वारा उक्त चैक का अनादरित किया जाना स्पष्ट है। अतः परिवादी बिंदु सं0 2 व 3 सिद्ध करने में सफल रहा है।

18. बिंदु 4 के संबंध में परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रश्नगत चैक के अनादरण के संबंध में विधिक नोटिस अभियुक्ता के सही पते पर भेजे जाने का कथन किया गया है। परिवादी द्वारा नोटिस दिनांकित 30.10.2023 तथा

रजिस्ट्री रसीद दिनांक 31.10.2023 तथा ऑनलाईन ट्रैकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल किए गए हैं। अभियुक्ता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 251 द0प्र0सं0 में नोटिस मिलने के तथ्य से इन्कार किया गया है। परंतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन ट्रैकिंग रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित होता है कि नोटिस की तामिली अभियुक्ता को दिनांक 13.10.2018 को हो गई थी। ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी सिद्ध पाया जाता है कि परिवादी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर चैक में वर्णित धनराशि की मांग करने हेतु विधिक नोटिस प्रेषित किया गया था। तद्नुसार बिन्दु सं0–4 परिवादी के पक्ष में सिद्ध पाया जाता है।

19. बिंदु 5 के संबंध में परिवादी द्वारा परिवादपत्र में कथन किया गया है कि नोटिस की अवधि बीत जाने के 15 दिन के बाद भी अभियुक्ता द्वारा परिवादी को चैक की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में विदित है कि परिवादी बिंदु सं0 1 को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा है। परिवादी द्वारा यह सिद्ध नही किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा प्रश्नगत चेक परिवादी को विधिसम्मत ऋण की अदायगी हेतु दिया गया था। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत आरोप सिद्ध करने हेतु उपरोक्त सभी बिंदुओं को सिद्ध किया जाना आवश्यक है। परिवादी द्वारा प्रथम बिंदु सिद्ध नही किया गया है। अतः इस बिंदु पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता नही है।

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय के मत में परिवादी के द्वारा प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित नही किया है कि परिवादी द्वारा अभियुक्ताको समय समय पर दी गई सेवाओं के भुगतान के एवज में अभियुक्ता द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक संख्या 011483 मुबलिग 3,50,000/–रू0 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गौजाजाली बिछली, जिला नैनीताल का दिनांक 07.10.2023 को दिया गया था। अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत आरोप सिद्ध करने हेतु उपरोक्त वर्णित सभी बिन्दुओं का सिद्ध किया जाना आवश्यक है। एक भी बिन्दु सिद्ध नही किये जाने की स्थिति में अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत आरोप सिद्ध नही होगा। अतः सभी बिन्दुओं को सिद्ध नहीं किये जाने के कारण

परिवादी अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्ता **सोनम कश्यप उर्फ नेहा** धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत आरोप से दोष मुक्त किये जाने के योग्य है।

–:: आदेश ::–

21. अभियुक्ता **सोनम कश्यप उर्फ नेहा** को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की **धारा 138** में दण्डनीय अपराध में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गये बन्धपत्र व जमानतनामें अगले छः माह तक प्रवृत रहेंगे तथा इस दौरान उच्चतर न्यायालय में अपील न होने की स्थिति में स्वतः निरस्त हो जायेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉकः 12.08.2026

(मीनाक्षी शर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
विशेष एन0आई0एक्ट
हल्द्वानी,जिला नैनीताल।

निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनॉकः 12.08.2026

(मीनाक्षी शर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
विशेष एन0आई0एक्ट
हल्द्वानी,जिला नैनीताल।

परिवादी पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों का विवरणः—

1. परिवादी साक्षियों का विवरणः—

श्रेणी/पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी0डब्लू0—01	चन्द्र प्रकाश	परिवादी
पी0डब्लू0—02	सुरेन्द्र पुरी	तथ्यात्मक साक्षी

2. बचाव पक्ष के साक्षियों का विवरणः—

श्रेणी/पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
——	——	——

परिवादी पक्ष/बचाव पक्ष के दस्तावेजों/प्रदर्शों का विवरणः—

1. परिवादी की ओर से दस्तावेजों/प्रदर्शों का विवरणः—

क0सं0	दस्तावेज का प्रकार
1.	मूल चैक चैक सं0 011483 दिनांकित 07.10.2023
2.	मूल रिर्टन मैमो दिनांकित 24.10.2023
3.	अभियुक्ता को प्रेषित नोटिस दिनांकित 30.10.2023
4.	डाक रसीद
5.	ऑनलाईन ट्रैकिंग रिपोर्ट
6.	नोटिस वापसी मय लिफाफा

2. बचाव की ओर से दस्तावेजों/प्रदर्शों का विवरणः—

क्र0सं0	**दस्तावेज का प्रकार**	**कागज संख्या**
1	परिवादी द्वारा अभियुक्ता को प्रेषित नोटिस	---

दिनॉकः 12.08.2026

(मीनाक्षी शर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
विशेष एन0आई0एक्ट
हल्द्वानी,जिला नैनीताल।